सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 7/2016**

**बउनवान**

श्री अरूण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्षेत्र–कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन कोटा **(प्रार्थी)**

**बनाम**

श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द, निवासी पीली कोठी, यूको बैंक के पीछे बारां (मालिक एवं विक्रेता) मेसर्स चौरसिया मिष्ठान भण्डार, धर्मादा चौराहा बारां (राज.) **(अप्रार्थी)**

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011**

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. बारां (प्रार्थी की ओर से)
2– श्री महेश प्रकाश गौत्तम एडवोकेट (अप्रार्थी)

**निर्णय दिनांक 22.06.2018**

प्रकरण श्री अरूण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्षेत्र–कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–कोटा द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.10.2015 को समय 02:30 पी.एम. पर मेसर्स चौरसिया मिष्ठान भण्डार, धर्मादा चौराहा बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे को परिचय दिया ओर उनकी उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा मौके पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु एल्यूमिनियम की ट्रे में 06 किलो **मावा बर्फी** रखी हुयी थी, में मिलावट का शक होने पर उक्त **मावा बर्फी** का नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना फार्म सं. 5 ए पर देते हुये 2 किलोग्राम **मावा बर्फी** वास्ते नमूना जांच खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 600/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए की प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदी हुई 2 किलोग्राम **मावा बर्फी** को एक साफ सूखी स्वच्छ एल्युमिनियम की ट्रे में हिला मिलाकर एकरूप करके 4 साफ सुथरी एवं स्वच्छ कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर चारों शीशीयों में फोरमिलीन की 40–40 बूंद डालकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा नमूना की शीशियों को नियमानुसार सील्ड किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर श्री सूरजमल प्रजापति वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज्य केंद्रीय जन स्वास्थय प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर अभिहित अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें परिक्षेत्र कोटा को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. एवं उप निदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें परिक्षेत्र कोटा के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/250 दिनांक 17.11.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/2857/एक्ट/

2015/1722 दिनांक 02.11.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, **मावा बर्फी सब स्टेण्डर्ड** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

डी.ओ. एवं उप निदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें परिक्षेत्र कोटा के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/250 दिनांक 17.11.2015 द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को जांच रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करते हुये धारा 46(4) के अन्तर्गत सूचित किया कि अगर वे उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो आवेदन के जरिये पुनः जांच हेतु अपील कर सकते हैं। नियत अवधि में कारोबारकर्ता द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी ने जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रकरण में जांच रिपोर्ट क्रमांक 1722 दिनांक 02.11.2015 में नमूने को सब स्टेण्डर्ड बताया गया है जिसमें मिल्क फेट upto 44 बताई गई है जो नमूने के जांच के तरीके के कारण आयी है जिसकी कोई सूचना अप्रार्थी को नियमानुसार समय पर नहीं दी गई है तथा नमूने की जांच रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 19.10.2015 से 28.10.2015 तक करना बताया है। इस अवधि का कोई प्रयोगशाला रिकार्ड प्रकरण में प्रस्तुत नहीं हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेम्पल लिये जाने से पूर्व मौके पर शीशीयों को साफ नहीं किया गया है और ना ही सील का कोई इम्प्रेशन है। निरीक्षण के समय एक ही गवाह उपस्थित रहा है इस प्रकार नमूना लेने की प्रकिया नियम 2.4.1 का उल्लंघन हुआ है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस **मावा बर्फी** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 7 में निर्धारित नोर्म्स 40.0 to 44.0 (Milk Fat) बताया गया है। जबकि अप्रार्थी से खरीद की गयी **मावा बर्फी** में Milk Fat 45.5 आयी है। जो कि उपयोग में लिये गये वनस्पति घी के कारण भी हो सकती है। खाद्य एनालिस्ट द्वारा वनस्पति घी का परीक्षण नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच ली गयी, **मावा बर्फी** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( वासुदेव मालावत )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)